

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2015/2026

Babulal S/o Shri Tulchiram, Aged About 38 Years, Resident Of
Ward No. 10, Mundsar, Police Station Napasar, District Bikaner.
(Lodged In Jail Bikaner)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Ankit Choudhary
For Respondent(s)	: Mr. Prem Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— नापासर, जिला— बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 241/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 132 भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। आहत को कारित चोटें साधारण प्रकृति की होना पाई गई हैं एवं कोई भी चोट प्राणघातक होना नहीं पाई गई है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 26.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ट्रैक्टर चलाकर आहत जगदीश को चोटें कारित की गई हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में आहत को कारित चोटें साधारण प्रकृति की होना पाई गई हैं और किसी प्रकार का कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया है। अतः आहत को कारित चोटों की प्रकृति, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बाबूलाल पुत्र तुलछीराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J